राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमाकः 1 (16)ग्रावि/नरेगा/IPPE/2014–15 पार्ट–1 जयपुर, दिनांक : 18 SEP 2015

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा
डूंगरपुर, बांसवाडा, टोंक, झालावाड, अजमेर,
उदयपुर, कोटा, चुरू, जालौर, जैसलमेर,
जोधपुर, नागौर, पाली, प्रतापगढ, बारां,
बाडमेर, भीलवाडा, राजसमंद, सवाई माधोपुर,
सिरोही, करौली एव चित्तौडगढ राजस्थान।

विषय :–आईपीपीई–।। अन्तर्गत कन्वर्जेन्ट प्लानिंग हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत कन्वर्जेन्ट प्लानिंग के सुचारू क्रियान्वयन हेतु निम्न कार्यवाही आवश्यक रूप से क्रियान्वित किया जाना सुनिश्चित करावे :–

- बीपीटी सदस्यों द्वारा प्रत्येक राजस्व ग्राम स्तर पर तीन दिवसीय सर्वे कार्य किया जावे।
- ग्राम पंचायत के समस्त राजस्व गांव में तीन–तीन दिवसीय कार्यवाही पूर्ण होने के बाद एक दिन ग्राम पंचायत स्तर पर बीपीटी सदस्य, ग्राम सेवक एवं अन्य अनुभवी व्यक्तियों द्वारा उपलब्ध सुचनाओं के आधार पर ग्राम सभा में प्रस्तुत करने योग्य ग्राम पंचायत स्तर की प्रस्तावित कार्य योजना की तैयारी की जावे, जिसमें सभी पारिवारिक प्रपत्रों का संकलन, पारिवारिक प्रपत्रों के आधार पर चार्ट पर माहवार श्रम बजट की तैयारी एवं पारिवारिक प्रपत्रों, पीआरए पद्धति एवं लक्षित समूह चर्चाओं के आधार पर चार्ट पर अपेक्षित कार्यो की सूची तैयार की जावे। तत्पश्चात ग्राम सभा में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जावे।
- रिर्सोस मेप एवं सर्वे संबंधी प्रपत्र इत्यादि ग्राम सभा/एमआईएस के उपरांत ग्राम पंचायत कें रिकोर्ड में संधारित किए जावे।
- कन्वर्जेन्ट प्लानिंग हेतु वित्तीय प्रावधान संबंधी दिशा–निर्देश पूर्व पत्र द्वारा ई–मेल द्वारा प्रेषित किये गये है, जिसके अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
- बीआरटी एवं बीपीटी प्रशिक्षण तथा ग्राम पंचायत स्तरीय सर्वे कार्य का विभिन्न स्तर पर फोटो लेते हुए समुचित डोक्यूमेन्टशन करावें। ताकि निर्देशानुसार नरेगा सॉफ्ट पर अपलोड की जा सकें।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार बीआरटी एवं बीपीटी सदस्यों का डेटा, बीपीटी प्रशिक्षण कलैण्डर एवं एसईसीसी डाटा हेतु आवश्यक मेपिंग नरेगा सॉफ्ट पर अपलोड किया जावे। एमआईएस के संबंध में कोई भी समस्या हो तो श्री शशिकांत मुंजाल, प्रोग्रामर मोबाईल नम्बर –9414332301 से वार्ता की जावे।
- 2 अक्टूबर की ग्राम सभा एवं बीपीटी द्वारा सर्वे उपरांत तैयार की गई कार्य योजना के अनुमोदन हेतु ग्राम सभा की तिथियों का समुचित प्रचार–प्रसार किया जावे।

परि.निदे. एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
2. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
3. परियोजना निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस।
4. परियोजना निदेशक (मो0 एवं मू0), ग्रामीण विकास विभाग।
5. परियोजना निदेशक ME & L, राजीविका, उद्योग भवन, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, ईजीएस।
7. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा/डीपीएम, राजीविका (आईपीपीई–।। में चयनित जिलें)
8. विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी/डीपनिंग मैनेजर, राजीविका (आईपीपीई–।। में चयनित पंचायत समिति)
9. सम्बन्धित CSO (प्रदान/उन्नति/सृजन)।
10. रक्षित पत्रावली।

परि0 निदे एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस